रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 1974/चैत्र 13, 1896

No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 1974/CHAITRA 13, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd April 1974

S.O. 238(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4A of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Second Amendment Order, 1974.

2. In the Imports (Control) Order, 1955,

(A) in clause (11), sub-clause (2), for the existing sub-para (d), the following shall be substituted, namely:—

"(d) (i) X-Ray films, X-Ray diagnostic agents and X-Ray intensifying screens by hospitals and X-Ray clinics for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed two thousand rupees;

(ii) X-Ray films and X-Ray diagnostic agents by laboratories for research purposes, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed one thousand rupees;"

(B) in Schedule II, after the existing S. No. 9, the following new entry shall be added, namely:—

"10. Deputy Development Commissioner (Imports and Exports), Santacruz, Bombay (in so far as Santacruz Electronics Export Processing Zone, Bombay, is concerned)."

(C) in Schedule III, in the first 'Proviso',—

(a) In sub-para (1),

(i) the word 'and' appearing at the end of item (iii) shall be substituted by the word 'or';

(ii) the following new item shall be added, namely—

"(iv) by units located in Santacruz Electronics Export Processing Zone, Bombay; and

(b) In sub-para (3), the following new item shall be added, namely—

"(iii) application for transfer of R.E.P. licence made by an eligible Export House under the Import Policy for Registered Exporters."

[No. 3/74]

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1974

एस० ओ० 238 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 तथा 4ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1974 की संज्ञा दी जाए।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में,

(ए) खंड (11), उप-खंड (2) में वर्तमान उप-कंडिका (डी) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(डी) (i) अस्पतालों और एक्स-रे क्लिनिक द्वारा उनके स्वयं के प्रयोग के लिए एक्स-रे फिल्म, एक्स-रे डायग्नोस्टिक एजेंट्स तथा एक्स-रे को तीव्र बनाने वाले पर्दे, बशर्ते कि किसी एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगा ;

(ii) अनुसंधान कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं द्वारा एक्स-रे फिल्म्स एवं एक्स-रे डायग्नोस्टिक एजेंट्स, बशर्ते कि किसी एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा ;"

(बी) अनुसूची-2 में, वर्तमान क्रम संख्या 9 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(10) उप-विकास आयुक्त (आयात तथा निर्यात), सान्ताक्रूज, बम्बई (जहां तक सान्ताक्रूज इलक्ट्रानिक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र का सम्बन्ध है)।"

(सी) अनुसूची 3 के प्रथम 'परन्तुक' में,–

(ए) उप-कंडिका (1) में,

(1) मद (3) के अन्त में आने वाले 'और' शब्द को 'अथवा' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) निम्नलिखित नई मद को जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(4) सान्ताक्रूज निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र, बम्बई में स्थित एककों द्वारा; और"

(बी) उप-कंडिका (3) में निम्नलिखित नई मद को जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"(3) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत एक पात्र निर्यात सदन द्वारा आर० ई० पी० लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए किया गया आवेदन-पत्र ।"

[सं० 3/74]

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974